



सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस



#OPERATION CRACKDOWN

प्रेस नोट- दिनांक 29.11.2024

01 शातिर चोर को पुलिस मुठभेड़ में इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया 01 मोबाइल, चोरी का सामान बेचकर अर्जित किये गये रूपये, 01 अवैध तमन्चा, 01 जिंदा कारतूस, 01 खोखा कारतूस 315 बोर किया गया बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन में एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण, अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व एसओजी/सर्विलांस टीम एवं थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 25.11.2024 को वादी उपदेश कुमार पुत्र बालकराम निवासी वैशालीपुरम थाना सिविल लाइन जनपद इटावा द्वारा थाना सिविल लाइन पर तहरीरी सूचना दी गयी कि जब वह अपने भांजे की शादी में नगला बरी गये थे तभी दिनांक 23/24.11.2024 की रात्रि को अज्ञात चोरों द्वारा उनके घर का ताला तोड़कर घर से सामान चोरी कर लिया गया जिसकी सूचना उनके पड़ोसी द्वारा उन्हें दी गयी। सूचना पर तत्काल **थाना सिविल लाइन पर मु0अ0सं0 222/2024 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया।**

जिसके क्रम में सिविल लाइन पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये उक्त अभियोग से सम्बन्धित 01 बाल अपचारी सहित कुल 02 अभियुक्तों को चोरी किये गये सामान सहित दिनांक 27.11.2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। जिसके आधार पर उक्त अभियोग में धारा 317(2) की बढोत्तरी की गयी थी तथा जिनसे पूछताछ के आधार पर अभियुक्त अबरार पुत्र इरफान व 01 अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया था जिनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत थी।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं चोरी की घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 28.11.2024 को मु0अ0सं0 222/2024 में वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत वाइस ख्वाजा रोड पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर **01 अभियुक्त सहित अभियुक्त अबरार को लायन सफारी के पास से समय 15.27 बजे गिरफ्तार किया गया।**

पुलिस पूछताछ:-

पकड़े गये अभियुक्त की पुलिस टीम द्वारा तलाशी ली गयी तो उसके कब्जे से 01 मोबाइल, 1900/- रूपये बरामद किये गये। जिनके सम्बन्ध में पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि यह मोबाइल उसने अपने अन्य साथियों के साथ दिनांक 23/24.11.2024 की रात्रि को वैशालीपुरम कालोनी में घर का ताला तोड़कर चोरी किया था तथा चोरी किये गये सामान को बेचकर जो पैसे मिले थे यह वही रूपये हैं और बताया कि उस चोरी के दौरान मेरे पास 01 अवैध तमन्चा व कारतूस भी था। जिसे मैंने लायन सफारी की दक्षिणी बाउन्ड्री के पास झाड़ियों में छिपा रखा है।

निशादेही के आधार पर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को उसके बताये गये स्थान पर ले जाया गया तो उसके द्वारा आरक्षी कमरूद्दीन को धक्का देकर भागने का प्रयास करते हुये तमन्चा उठाकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया जिस पर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गयी तो 01 गोली अभियुक्त अबरार के बांये पैर में लगी जिसे घायल अवस्था में 21.05 बजे 01 अवैध तमन्चा, 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया तथा उपचार हेतु मोतीझील इटावा में भर्ती कराया गया।

उक्त गिरफ्तारी एवं पुलिस मुठभेड़ के सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 222/2024 धारा 331(4)/305(ए)/317(2) बीएनएस में धारा 109(पुलिस मुठभेड़) व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

नोट:- पूछताछ के आधार पर अभियुक्त विकास जाटव का नाम प्रकाश में आया है जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अबरार पुत्र इरफान निवासी भरथना चौराहा अशोक नगर थाना फ्रेण्डस कालोनी जनपद इटावा स्थायी पता ग्राम लुधपुरा थाना जसवन्तनगर जनपद इटावा उम्र 22 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 222/2024 धारा 331(4)/305(ए)/317(2)/109 (पुलिस मुठभेड़) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।

बरामदगी:-

1. 01 अवैध तमन्चा 315 बोर।
2. 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।
3. 01 खोखा कारतूस 315 बोर।
4. 01 मोबाइल (चोरी किया गया)
5. 1900/- रूपये नकद (चोरी का माल बेचकर अर्जित किये गये)

दिनांक 27.11.2024 को बरामदगी:-

1. 01 चेन (सोने की)
2. 05 जोड़ी बिछिया (चांदी की)
3. 02 छल्ले (चांदी के)
4. 01 एलईडी टीवी शाओमी कम्पनी
5. 01 घड़ी फास्ट्रैक कम्पनी
6. 2,500/- रुपये नकद

आपराधिक इतिहास:-

अभियुक्त अबरार पुत्र इरफान

1. मु0अ0स0 09/2023 धारा 379/411 भादवि थाना चौबिया जनपद इटावा
2. मु0अ0स0 38/2023 धारा 392/411/413/414 भादवि थाना फ्रेण्ड्स कालोनी जनपद इटावा
3. मु0अ0स0 111/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना फ्रेण्ड्स कालोनी जनपद इटावा
4. मु0अ0स0 58/2024 धारा 109/312/313 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना वैदपुरा जनपद इटावा ।
5. मु0अ0सं0 35/2023 धारा 392/411 भादवि थाना इकदिल जनपद इटावा ।
6. मु0अ0सं0 67/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फ्रेण्ड्स कालोनी जनपद इटावा
7. मु0अ0सं0 322/2022 धारा 379/411/413/427 भादवि थाना फ्रेण्ड्स कालोनी जनपद इटावा ।
8. मु0अ0स0 166/2019 धारा 379/411/420/467/468/471 भादवि थाना चौबिया जनपद इटावा
9. मु0अ0सं0 679/2019 धारा 379/411/413/414/420/482 भादवि थाना फ्रेण्ड्स कालोनी इटावा
10. मु0अ0सं0 222/2024 धारा 331(4)/305(ए)/317(2)/109 (पुलिस मुठभेड़) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिविल लाइन जनपद इटावा ।

पुलिस टीम-

प्रथम टीम- निरी0 श्री जीतेन्द्र प्रसाद शर्मा प्रभारी एसओजी एवं उ0नि0 श्री नागेन्द्र चौधरी प्रभारी सर्विलांस मय टीम ।

द्वितीय टीम - निरी0 श्री यशवन्त सिंह प्रभारी थाना सिविल लाइन, उ0नि0 सिपाहीलाल, उ0नि0 रविन्द्र सिंह, हे0का0 सचिन तोमर, का0 कमरूद्दीन, का0 जयचन्द्र, का0 गोविन्द ।

पूर्व गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. 01 बाल अपचारी (जुनैद पुत्र मोहम्मद सलीम निवासी मेवाती मोहल्ला थाना कोतवाली उम्र 15 वर्ष
1) दिनांक 27.11.2024 जेल गया ।
2. सूरज पुत्र भानूप्रताप सिंह निवासी चौधरी पेट्रोल पम्प के पास थाना कोतवाली जनपद इटावा उम्र 20 वर्ष । दिनांक 27.11.2024 जेल गया ।
3. 01 अभियुक्ता (शमा पत्नी सलमान निवासी रानी बाग टैम्पो अड्डा थाना कोतवाली जनपद इटावा उम्र 26 वर्ष ।) दिनांक 28.11.2024 जेल गया ।
4. अबरार पुत्र इरफान निवासी भरथना चौराहा अशोक नगर थाना फ्रेण्डस कालोनी जनपद इटावा स्थायी पता ग्राम लुधपुरा थाना जसवन्तनगर जनपद इटावा उम्र 22 वर्ष । (मुठभेड़ में घायल) पूर्व में भी

पुलिस मुठभेड़ में थाना वैदपुरा से दिनांक 14.09.2024 को जेल
गया था ।

वाँछित:- विशाल जाटव (नाम-पता सत्यापित
किया जा रहा है ।)